# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 06.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

**(2).** आज दिनाँक 06.11.2024 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में चित्रकूट पुलिस द्वारा आगामी त्योहार के दृष्टिगत शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृण बनाये रखने हेतु थाना/चौकी प्रभारियो द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया। पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सरकारी शराब की दुकानों को चेक किया गया एवं 02/04 पहिया वाहनों की चेकिंग की गयी।

**(3).** पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज जोन श्री प्रेम कुमार गौतम एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक परिक्षेत्र बांदा श्री अजय कुमार सिंह द्वारा बरगढ़ थाना अन्तर्गत युवती के साथ दिनाँक 26.10.2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा सुनसान जंगल के रास्ते में की गयी दुष्कर्म की घटना के घटना स्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह को घटना के अनावरण हेतु निर्देशित किया गया था। अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज जोन के सतत निर्देशन में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा घटना के अनावरण हेतु अपर पुलिस अधीक्षक श्री चक्रपाणि त्रिपाठी के नेतृत्व में कुल 05 टीमों का गठन किया गया तथा शीघ्र उक्त घटना के अनावरण हेतु समस्त टीमों को निर्देशित करते हुए स्वयं भी निरन्तर पर्यवेक्षण किया जाता रहा। इस क्रम में क्षेत्राधिकारी मऊ यामीन अहमद,क्षेत्राधिकारी क्राइम श्री राजेश कुमार द्विवेदी तथा 05 टीमों में निरीक्षक क्राइम श्री अजीत कुमार पाण्डेय, एसओजी प्रभारी श्री एम.पी. त्रिपाठी, थानाध्यक्ष बरगढ़ श्री पंकज तिवारी, कोतवाली कर्वी के निरीक्षक श्री लाखन सिंह के द्वारा निरन्तर प्रयास करते हुए थाना बरगढ़ क्षेत्रान्तर्गत जंगल के रास्ते में पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना का सफल अनावरण कर आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-**

शुभम मिश्रा उर्फ सुग्गा पुत्र कमलेश कुमार उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम बिहरिया थाना शंकरगढ़ जनपद प्रयागराज

**अभियुक्त का अपराधिक इतिहास –**

1.मु0अ0 सं0 22/2013 धारा 376/506/324/307 आई0पी0सी0 व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट थाना शंकरगढ जनपद प्रयागराज

2.मु0अ0सं0 270/2015 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना शंकरगढ जनपद प्रयागराज

3. मु0अ0सं0 94/2024 धारा 70(1), 127(2) बीएनएस थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट।

**बरामदगीः-**

घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना रंग काला नं0 UP 70 DE 0031

जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल एन्ड्रॉयड रंग काला THE LEGEND

**गिरफ्तारी का स्थान व समयः-**

अरवारी मोड़ थाना बरगढ़ जनपद चित्रकूट समय करीब सुबह 05.30 बजे

**सक्षिप्त विवरणः-**

उल्लेखनीय है कि दिनाँक 26.10.2024 को थाना बरगढ़ में वादी द्वारा सूचना दी गयी कि मेरी पुत्री प्रतिदिन की भाँति जंगल के रास्ते से राज अस्पताल बरगढ़ नर्स की ड्यूटी करने साइकिल से जा रही थी कि मेरी पुत्री बदहवास हालत में हाथ बंधे हुए रेलवे ट्रैक पर मिली। वादी मुकदमा द्वारा लिखित सूचना में यह उल्लेख किया गया था कि जंगल के रास्ते से एक अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से लड़की का रास्ता रोक कर उसे गिरा दिया था तथा 02-03 व्यक्ति अज्ञात और आ गये थे तथा जो सामूहिक दुष्कर्म कर मुहं में कपड़ा ठुसकर दुपट्टे से हाथ बांधकर रेलवे ट्रैक पर छोड़ दिये थे। इस लिखित सूचना पर थाना बरगढ़ में मु0अ0सं0 94/2024 धारा 70(1),127(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। पीड़िता के द्वारा दिये गये 180 व 183 बीएनएसएस के बयानों में आये हुए तत्थों एवं साक्ष्यों के आधार पर व घटना के समय अभियुक्त को देखे गये चक्षुदर्शियों के बयानों के आधार पर बनवाये गये स्कैच,धरातल पर एकत्रित की गयी आसूचानाओं एवं मुखविर की सटीक सूचना पर कि संदिग्ध व्यक्ति सेमरा रोड से जंगल के रास्ते मोटरसाइकिल से अपने घर की तरफ जा रहा है। पूर्ण विश्वास है कि यह वही व्यक्ति है, जिसने लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। इस सूचना पर लगायी गयी टीमों द्वारा तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए सुबह 05.30 बजे के लगभग अरवारी मोड़ के पास आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए हिकमत अमली से आरोपी व्यक्ति को पकड़ लिया गया। पूछंताछ के दौरान उसने अपना नाम शुभम मिश्रा उर्फ सुग्गा पुत्र कमलेश कुमार उर्फ मुन्ना निवासी ग्राम बिहरिया थाना शंकरगढ़ जनपद

प्रयागराज बताया और पीड़िता के साथ दुष्कर्म करना स्वीकार किया। इसी दौरान पीड़िता अपने परिजनों के साथ इलाज कराने हेतु प्रयागराज जा रही थी कि मौके पर पहुंच गयी और पकड़े गये व्यक्ति को देखकर चिल्लाते हुए बोली की यह वही राक्षस है, जिसने मेरी जिन्दगी तबाह की है। इसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। पूछंताछ के दौरान ही घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बजाज प्लेटिना रंग काला नं0 UP 70 DE 0031 भी बरामद हुई तथा अभियुक्त के जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल एन्ड्रॉयड रंग काला THE LEGEND बरामद हुआ।

पूछंताछ में अभियुक्त ने बताया कि घटना केवल मेरे द्वारा ही की गयी है, मेरे साथ कोई और नही था तथा घटना के दौरान मेरे द्वारा किसी को नहीं बुलाया गया था। घटना के समय मैं मोबाइल से फोन करने का नाटक कर रहा था जिससे लड़की डरी रहे । तथा यह कह रहा था कि हमारे ऊपर काल भैरव आते हैं और मैं फॉरेस्ट विभाग का आदमी हूँ, यह सब भ्रमित करने के लिए झुठे ही मोबाइल कान पर लगाया था। मैने घटना के दौरान कोई फोन नही किया था।

**गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण-**

**एसओजी टीमः-**

1.निरीक्षक एम0पी0 त्रिपाठी
2. का0 रोहित कुमार सिंह
3. का0 रोशन सिंह
4.का0 गोलू भार्गव
5. का0 पवन कुमार राजपूत
6. का0ज्ञानेश मिश्रा

**थाना बरगढ टीमः-**

1.थानाध्यक्ष पंकज तिवारी
2.उ0नि0 राधेश्याम सिंह
3.उ0नि0 राजेश सिंह यादव
4. का0 रंजीत यादव
5.का0 हिमांशु पटेल
6.का0 शुलभ पटेल

**कोतवाली कर्वी टीमः-**

1.निरीक्षक श्री लाखन सिंह (थाना कोत0 कर्वी)
2.उ0नि0 शनि कुमार चतुर्वेदी (थाना पहाडी)
3. हे0का0 साकिर हुसैन (थाना कोत0 कर्वी )

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 01 वांछित व 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

(i). उ0नि0 श्री गौरव तिवारी व उनके हमराही आरक्षी कृष्ण कुमार द्वारा मु0अ0स0 723/2023 धारा 363,366,376 भादवि0 व 04 पॉक्सो एक्ट के वांछित अभियुक्त लवकुश पुत्र पट्टू यादव निवासी गढ़ीवा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया।

(ii).उ0नि0 श्री शिवसागर दुबे हमराह पीआरडी दयाराम द्वारा प्रकीर्ण वाद नं0 180/2021 धारा 125(3) सीआरपीसी के वारंटी अभियुक्त कमलेश पुत्र पंचा रैदास निवासी करौंदी कला थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री उपेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार गुप्ता, उ0नि0 श्री मेवालाल मोर्या व उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अभिलाष पुत्र मुन्नीलाल निवासी कुशवाहा बस्ती सीतापुर 2. रज्जू राम पुत्र रामशिरोमणि 3. चिरौजी पुत्र आयोध्या 4. श्यामराज पुत्र रामदीन 5. वसीम उर्फ सोनू पुत्र हसीन खाँ 6. धर्मेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र प्रसाद 7. रज्जू पुत्र श्यामबाबू 8. राममिलन पुत्र चौबा 9. गंगाप्रसाद पुत्र सुकरू 10. रामकेश पुत्र चौबा 11. रिंकू पुत्र बच्चा प्रजापति 12. लल्लू कुशवाहा पुत्र आनंदीलाल निवासीगण कुरियान टोला मोहल्ला तीर्थराजपुरी चौकी सीतापुर कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को  ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ 6630/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से 570/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

बरामदगी-

1. मालफड़ 6630/- रुपये व 52 अदद ताश के पत्ते
2. जामा तलाशी से 570/- रुपये

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. चौकी प्रभारी सीतापुर उ0नि0 श्री अनिल कुमार सिंह
2. उ0नि0 श्री मेवालाल मोर्या चौकी सीतापुर
3. आरक्षी अनुज यादव
4. आरक्षी अजय
5. आरक्षी रविन्द्र राठौर